# जुर्माना बढ़ने से कानून के प्रति सम्मान बढ़ा : गडकरी

गडकरी ने टीसीआई की तरफ से शुरू किए गए सेफ सफर अभियान की शुरूआत की।

**कहा, एक डर है... जो नियमों पर चलने की प्रेरणा दे रहा है**

**ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या में 7-8 गुना बढ़ोतरी**

**प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र बनवाने में तीन गुना बढ़ोतरी**

**दुर्घटनाओं में 4.5 लाख लोग सालाना होते हैं चोटिल**

**2.5 लाख लोग दुर्घटनाओं में विकलांग हो जाते हैं**

**2 प्रतिशत जीडीपी का नुकसान दुर्घटनाओं के कारण**

नई दिल्ली, 19 सितम्बर (नवोदय टाइम्स): नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर बढ़ाए गए जुर्माने से यातायात नियम तोड़ने के मामलों में तो कमी आ ही रही है, सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में भी सुधार आया है। यह बात केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को कही। उन्होंने कहा कि जुर्माना कम होने के कारण पहले न तो कानून का डर था और न ही यातायात नियमों के प्रति सम्मान। लोग बिना डरे नियम तोड़ देते थे। अब अधिक जुर्माने के कारण लोग नियम तोड़ने से डरते हैं। गडकरी ने टीसीआई की तरफ से शुरू किए गए सेफ सफर अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख मौतें होती हैं, इनमें 65 फीसद वे युवा होते हैं जिनकी उम्र 20 से 35 वर्ष आयु के बीच हैं। युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एक साल में हेलमेट न पहनने से 30 हजार लोगों की जान जाती है। कई सड़क दुर्घटनाओं का कारण मोबाइल पर बात करना है। आजकल इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। कई देश हैं जहां सड़क दुर्घटना का अनुपात 0-1 फीसद के बीच है। हमारे देश को सड़क दुर्घटना से मुक्त बनाने के लिए बच्चों को यातायात शिक्षा देनी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा। सरकार ने देश में 22 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं। लोगों को चाहिए कि मानकों को पूरा कर ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं।

## सीसीटीवी में कैद होंगे, घर पहुंचेगा चालान

भले यातायात पुलिसकर्मी नहीं हो, लेकिन यातायात नियम का पालन नहीं करने वाले की गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा। इसके बाद उसके घर पर चालान पहुंचेगा। यह व्यवस्था धीरे-धीरे पूरे देश में लागू की जाएगी। गडकरी ने कहा कि मेरे ड्राइवर ने मुम्बई वर्ली सी लिंक रोड पर नियम का उल्लंघन किया, इस कारण मुझे भी चालान भेजा गया। नियमों का पालन करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है।